बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 01 / भू0अ0नि0(8)–मुकदमा – 05 / 2020..... **पटना, दिनांक :–**

आदेश

सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–7267 / 2020 शशि शंकर ज्योति बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 21.01.2021 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

" The writ applications are disposed of with a direction to the respondents to strictly follow the merit list and if there is any mistake, they will rectify and modify the panel as per merit. In the event, there is any disqualification or compelling reason for exclusion of any candidate from the panel notwithstanding the merit position, respondents are required to give reasons. The entore exercise of correction of panel if any shall be completed by the respondents within a maximun period of (45) forty five days from the date of receipt/production of a copy of this order. Within the same time respondents shall pass respondents shall pass reasoned order for rejection candidature despite merit position".

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के आलोक में समर्पित अभ्यावेदन द्वारा श्री शशि शंकर ज्योति ने अपने Diploma in Civil Engineering के प्रमाण–पत्र को वैध बताते हुए विशेष सर्वेक्षण अमीन के मेधा क्रम में नाम जोड़ने का अनुरोध किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त न्याय निर्णय के आलोक में प्राप्त अभ्यावेदन पर सुनवाई की तिथि दिनांक 24.07.2023 को 4.00 बजे अपराह्न निर्धारित करते हुए निदेशालय के पत्रांक 5941 दिनांक 21.07.2023 द्वारा याचिकाकर्त्ता को सुनवाई में उपस्थित होने हेतु ई–मेल / वाट्सऐप के माध्यम से सूचित किया गया।

निर्धारित तिथि को याचिकाकर्त्ता श्री शशि शंकर ज्योति उपस्थित हुए। याचिकाकर्त्ता का पक्ष उनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में सुना गया।

सुनवाई के क्रम में याचिकाकर्त्ता द्वारा आवेदन के समय ही Diploma in Civil Engineering का प्रोविजनल प्रमाण –पत्र अपलोड करने की बात कही गई। जबकि याचिकाकर्त्ता से संबंधित कार्यालय में संधारित **" फोल्डर के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा विशेष सर्वेक्षण अमीन हेतु दिनांक 01.04.2019 को आवेदन समर्पित किया गया है, जबकि Provisional Certificate दिनांक 25.06.2019 को निर्गत हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्त्ता के विशेष सर्वेक्षण पद हेतु आवेदन करने की तिथि 01.04.2019 के बाद Provisional Certificate निर्गत है, इस कारण काउंसिलिंग टीम द्वारा R-9 आपत्ति अंकित करते हुए इनके चयन पर विचार नही किया गया।**

पुनः आरक्षण से संबंधित दिये गए प्रमाण–पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्त्ता द्वारा दिनांक 01.04.2019 को समर्पित आवेदन के साथ बिना किसी सक्षम प्राधिकार के हस्ताक्षर एवं मोहर वाला EWS Certificate अपलोड किया गया है तथा बाद में याचिकाकर्त्ता द्वारा दिनांक 08.04.2019 को निर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि याचिकाकर्त्ता के आवेदन की तिथि 01.04.2019 के बाद का है। अतः काउंसिलिग टीम द्वारा याचिकाकर्त्ता के EWS Certificate को अमान्य करते हुए इनके चयन पर विचार नही किया गया।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों से स्पष्ट है कि याचिकाकर्त्ता के द्वारा Diploma in Civil Engineering के प्रमाण–पत्र को वैध बताते हुए विशेष सर्वेक्षण अमीन के मेधा क्रम में नाम जोड़ने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त विवेचना के आलोक में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 7267/2020 शशि शंकर ज्योति बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 21.01.2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता द्वारा समर्पित अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–
(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक – 01/भू0अ0नि0(8)–मुकदमा – 05/2020-5960 पटना, दिनांक –24/10/2023

प्रतिलिपिः– Shashi Shankar Joyti S/o-Ram Narayan Jyoti, Vill- Kalwan, PS- Harnaut, District- Nalanda (Bihar) Mob. no. 6207684712 E-mail- shashiraj204@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

24/10/23

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक – 01/भू0अ0नि0(8)–मुकदमा – 05/2020-5960 पटना, दिनांक –24/10/2023

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/10/23

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप